

क्रमांक एफ5 (902) / डीओआईटी / टेक / 15/1/38652/2015


दिनांक 18.09.2015

अधिसूचना

नागरिकता अधिनियम 1955 एवं नागरिकता नियम 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान में निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकारिकता की सीमाओं के भीतर 2015 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने के सम्बन्ध में एतद् द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त करती है :-

क्र. स.	स्तर	प्राधिकारी	पद
1.	जिला	जिला कलक्टर	जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
2.	जिला	अति.जिला कलक्टर	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
3.	जिला	उप / सहायक निदेशक / जिला सांख्यिकीय अधिकारी	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
4.	तहसील / उपखण्ड	उपखण्ड अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
5.	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
6.	नगर निगम	आयुक्त	जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
7.	नगर निगम	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त	उप जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
8.	नगरपरिषद / नगरपालिका / कॅन्टोनमेंट बोर्ड	आयुक्त / अधिशासी अधिकारी / प्रशासक	उप जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन

राज्यपाल की आज्ञा से



(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्य मंत्रीगण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच।
4. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।



(हंसराज यादव)

अतिरिक्त निदेशक एवं
राज्य समन्वयक (एन.पी.आर)